U;k;ky; Hkw iccU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo
vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 11@2022

1. सुगनाराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति माली उम्र 87 वर्ष निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू ।

vihykV

cuke

1. हरचंद पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू ।
2. शिवभगवान पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी माताजी के मंदिर के पास कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू ।
3. बडोडा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक शाखा भालेरी जरिये शाखा प्रबंधक।
4. बैंक आफ बडोदा शाखा तारानगर जरिये शाखा प्रबंधक ।
5. तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

jLikM.VI

mifLFkr%& 1. श्री धन्नाराम सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ललीत गौतम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh rkjkuxj
fu.k; fnukd 20-01-2022 d fo:} vihy
vUrxr /kkjk 225 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

<u>fu.k;</u> दिनांकः—21.09.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय तारानगर के निर्णय दिनांक 20.01.2022 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत खेत ख0न0 1361/436 तादादी 1.1001 हैक्टयर वाके रोही कोहिणा का रेस्पो0/प्रार्थी सं0 1 हरचंद एकमात्र कब्जेकाश्त खातेदार है । जिसके दक्षिणी दिशा में अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 सुगनाराम का खेत ख0न0 435 स्थित है तथा ख0न0 435 के दक्षिण में रेस्पो0/अप्रार्थी सं02 शिवभगवान का खेत ख0न0 506 स्थित है । खेत ख0न0 506 में से एक कटाणी रास्ता जो ग्राम कोहिणा से गाजुवास

जाता है । उक्त कटाणी रास्ता सुगनाराम के खेत के पास से शिवभगवान के खेत में से पश्चिम से पूर्व जाता है जिसे अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 सुगनाराम द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है । जिस कारण से रेस्पो0/प्रार्थी को आवागमन हेतु 12 फुट कटाणी रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/प्रार्थी सं0 1 हरचंद को दिया गया है जो कानून विरूद्व है के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत खेत ख0न0 1361/436 तादादी 1.1001 हैक्टयर वाके रोही कोहिणा का रेस्पो0/प्रार्थी सं0 1 हरचंद एकमात्र कब्जेकाश्त खातेदार है । जिसके दक्षिणी दिशा में अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 सुगनाराम का खेत ख0न0 435 स्थित है तथा ख0न0 435 के दक्षिण में रेस्पो0/अप्रार्थी सं02 शिवभगवान का खेत ख0न0 506 स्थित है । खेत ख0न0 506 में से एक कटाणी रास्ता जो ग्राम कोहिणा से गाजुवास जाता है । उक्त कटाणी रास्ता सुगनाराम के खेत के पास से शिवभगवान के खेत में से पश्चिम से पूर्व जाता है जिसे अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 सुगनाराम द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है जबकि रेस्पो0 सं0 1 हरचंद का रास्ता अपीलांट के खेत में से कभी नही रहा है । रेस्पो0 सं0 1 का रास्ता ख0न0 438, 437 में से रहा है तथा रेस्पो0 सं0 1 के खेत के समीम जोहडे में से आवागमन करता है उक्त रास्ता मौके पर मौजुद है व आवागमन हेतु चालु है किन्तु हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलांट के खेत में से रास्ता बताते हुए उसे अवरूद्व करना बताया है । जिस पर 6 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है जो अपीलांट के खेत के आस पास के नही है । सभी व्यक्ति राजनेतिक व्यक्ति है जो अपने राजनीती स्वार्थ के लिये पटवारी के साथ रेस्पो0 से01 के कहने पर गये है । हल्का पटवारी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ख0न0 1361/436 मे जाने हेतु अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक नही है जब कि उसके खेत में आवागमन के लिये पहले से ही दो रास्ते मौजुद है । हल्का पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है इस बाबत अपीलांट को कोई सुचना या कोई नोटिस नही दिया गया है एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपपजीयंक तारानगर को रास्ता की रिपोर्ट पेश करने हेतु कोई आदेश नही दिया गया है उसके बावजुद भी पंजीयक विभाग की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2022 को पेश कर दी गयी जबकि हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.01.2022 को बनाई गयी थी तथा न्यायालय में दिनांक 20.01.2022 को पेश की गयी थी उससे पूर्व ही उपपंजीयक विभाग में केसे पहुंच गयी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत बने राजस्व मण्डल के नियम 69 के अन्तर्गत रास्ते का प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भूअभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय कर सकता है उक्त नियम की पालना नही होने से आदेश जरिये अपील निरस्त किये जाने योग्य है अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे ।

3. रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत खेत ख0न0 1361/436 तादादी 1.1001 हैक्टयर वाके रोही कोहिणा का रेस्पो0/प्रार्थी सं0 1 हरचंद एकमात्र कब्जेकाश्त खातेदार है । जिसके दक्षिणी दिशा में अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 सुगनाराम का खेत ख0न0 435 स्थित है

तथा ख0न0 435 के दक्षिण में रेस्पो0/अप्रार्थी सं02 शिवभगवान का खेत ख0न0 506 स्थित है । खेत ख0न0 506 में से एक कटाणी रास्ता जो ग्राम कोहिणा से गाजुवास जाता है । उक्त कटाणी रास्ता सुगनाराम के खेत के पास से शिवभगवान के खेत में से पश्चिम से पूर्व जाता है जिसे अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 सुगनाराम द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है उक्त रास्ते के अलावा खेत ख0न0 1361/436 मे जाने के लिये कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नही है रेस्पो0/प्रार्थी सं0 1 हमेशा से ही अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खेत ख0न0 435 व 506 में से आवागमन करता रहा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे कटाणी नही होने से अपीलांट बार बार रास्ते को अवरूद्व कर देता है जिस कारण रेस्पो0 को अपने खेत में ट्रेक्टर, उंट गाढा व पशुधन ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है । अतः रेस्पो0/प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु 12 फुट चोडा रास्ता दिलवाया जाये इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 251 क का प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवार हल्का कोहिणा से मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर विवादित रास्ता खुलवाये जाने बाबत आदेशित किया गया । हल्का पटवारी दिनांक 19.06.2021 को मौके पर गया व गांव के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में ख0न0 435 के काश्तकार अपीलांट सुगनाराम को रास्ता खोलने बाबत कहा गया उन्होने स्पष्ट मना कर दिया । ग्राम के मौजिज व्यक्तियों कि उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी । ख0न0 406 के काश्तकार शिवभगवान ने रास्ते खोलने बाबत कोई आपत्ति नही की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2021 को तहसीलदार को सोंप दी गयी तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया कि ख0न0 435 के खातेदार सुगनाराम के खेत में से रेस्पो0/प्रार्थी के खेत में जाने वाले रास्ते की लम्बाई 113.76 मीटर व चोडाई 3.66 मीटर गैरमुमकिन कटाणी रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपुर्ति राशि ग्राम काहिणा की डीएलसी कीमत 13003 रूपये बनती है जिसकी दुगनी राशि प्रभावित पक्षकार को प्रदान करें अतः रेस्पो0/प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता प्रदान किया गया है वो कानूनी रूप से न्यायोचित है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2022 को यथावत रखा जावे व अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सूनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि रेस्पो0/प्रार्थी हरंचद के खेत ख0न0 1361/436 में आवागमन हेतु अपीलांट के खेत ख0न0 435 में से होकर गुजरता है एक मात्र वैकल्पिक रास्ता है । पटवार हल्का कोहिणा के हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट में भी यह अंकित है कि रेस्पो0/प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जिसे अपीलांट के द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है जिसे खुलवाने हेतु हल्का पटवारी व गांव के मौजिज व्यक्ति मौके पर गये एवम रास्ता खोलने बाबत समझाईस की गयी जिस पर अपीलांट द्वारा मौके पर रास्ता खोलने से इंकार कर दिया । प्रकरण में

विवादित रास्ता सदामत से चला आ रहा है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है । एक काश्तकार को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता रहती है व अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है जो उसका कानूनी अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0/प्रार्थी को जो आवागमन हेतु रास्ता दिया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क की पालना करते हुऐ दिया गया है जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का रद्दोबदल करना न्यायोचित नही समझता है ।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो के अवलोकन एवम राजस्व कार्मिकों की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि विवादित रास्ता पूर्व में सदामत से कायम था परन्तु राजस्व रेकार्ड में अंकन नही होकर खातेदारी में दर्ज था अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.01.2022 को अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी तारानगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के नियम 69 में विहित प्रावधानों के अनुसार भूअभिलेख निरीक्षक या इस पद से उपर की रैंक के कार्मिक को भेज मौका निरीक्षण करवायें यदि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न हो तो उपरांत निरीक्षण पूर्व में चल रहे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 21.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkkx.kcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj